



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 879]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 879]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसंबर, 2016

सा.का.नि. 1167(अ)--राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“सं. आ. 268”

संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 2016

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 2016 है।
2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, उस संघ राज्यक्षेत्र में, जहां तक उनके उन सदस्यों का संबंध है, जो उस संघ राज्यक्षेत्र के निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

अनुसूची

इरुलर (विल्ली और वेट्टेकारन् सहित)

प्रणव मुखर्जी,

राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(1)/2016-वि-1]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE****(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2016

**G.S.R. 1167(E).**—The following Order made by the President is published for general information:—**“C.O.268”****THE CONSTITUTION (PUDUCHERRY) SCHEDULED TRIBES ORDER, 2016**

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Puducherry) Scheduled Tribes Order, 2016.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities specified in the Schedule to this Order, shall for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the Union territory of Puducherry so far as regards members thereof resident in that Union territory.

**THE SCHEDULE**

Irular (including Villi and Vettaikaran)

PRANAB MUKHERJEE,

*President.*

-----

[F.No.19(1)/2016-Leg.I]

DR.G. NARAYANA RAJU, Secy.